परिपत्र संख्या 25/10

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(482)विधि/10/ 2004 दिनांकः 31/8/10

परिपत्र

विषयः पूर्ण मुद्रांकन हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्रों/दस्तावेजों के न्यायनिर्णयन एवं निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में।

1.0 कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णित मुद्रांक प्रकरणों के निर्णयों के परीक्षण से यह तथ्य ध्यान में आया है कि कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष पूर्ण मुद्रांकन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों/दस्तावेजों को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–35 अथवा धारा–45 के स्थान पर धारा–37, 51 व 55 के तहत दर्ज कर निस्तारित किया जा रहा है, जो विधिक रूप से उचित नहीं है।

2.0 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–35 व 45 के तहत प्रस्तुत पूर्ण मुद्रांकन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में देय मुद्रांक शुल्क निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

2.1 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–35 के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा कोई लिखत, चाहे वह निष्पादित हो या नहीं और मुद्रांकित हो अथवा नहीं, कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रभार्य शुल्क की जानकारी हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदन 10/–रूपये से अन्यून और 50/–रूपये से अनधिक की फीस, जो कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा लगाई जावेगी।

2.2 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की ***धारा–36 में वर्णित प्रावधानानुसार यदि दस्तावेज राज्य में निष्पादित है तो निष्पादन की तिथि से एक माह के अन्दर तथा राज्य के बाहर दस्तावेज का निष्पादन हो तो राज्य में आने के 3 माह के अन्दर न्याय निर्णयन के लिए प्रस्तुत हो तो दस्तावेज निष्पादन के समय का स्टाम्प शुल्क लिया जाना चाहिए तथा उक्त अवधि के बाद प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों पर प्रस्तुतीकरण के समय का स्टाम्प शुल्क लिया जाना चाहिए।***

2.3 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की ***धारा–45 के अन्तर्गत*** यदि कोई व्यक्ति अपर्याप्त मुद्रांक पर निष्पादित दस्तावेज को निष्पादन की तिथि से एक वर्ष के भीतर कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रस्तुत करके उस पर ***देय मुद्रांक शुल्क लेने का आग्रह करता*** है तथा ***अपर्याप्त मुद्रांक पर निष्पादित नहीं होने का कारण बताया*** है तो कलक्टर (मुद्रांक) को ***यह संतुष्टि करनी चाहिए कि दस्तावेज अपर्याप्त या बिना मुद्रांक पर किसी घटनावश निष्पादित हुआ था।*** उक्त संतुष्टि के पश्चात् ही समुचित मुद्रांक शुल्क की राशि जमा करवाकर पर्याप्त मुद्रांक का प्रमाण–पत्र पृष्ठांकित किया जा सकता है, किन्तु निष्पादन के एक माह पश्चात् के मामलों में स्टाम्प शुल्क निष्पादन के समय की बजाय प्रस्तुतीकरण के समय प्रचलित दर से ली जावे।

3.0 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–35 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्र/दस्तावेज धारा–36 के द्वितीय परन्तुक के (a)

व (b) में निर्धारित समयावधि के पश्चात् कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर इस परिपत्र के बिन्दु संख्या 3.1 व 3.2 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

3.1 प्रार्थना-पत्र/दस्तावेज में उल्लेखित सम्पत्ति का बाजार मूल्य निर्धारण, दस्तावेज के कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुतीकरण की दिनांक को प्रचलित दर (डी.एल.सी.दर) के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

3.2 प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र/दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क की गणना कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत होने की दिनांक को प्रभावी दर के आधार पर की जायेगी।

4.0 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-37 केवल दस्तावेज को इम्पाउण्ड कर कलक्टर (मुद्रांक) को पूर्ण मुद्रांकन हेतु भिजवाये जाने अथवा कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा स्वयं दस्तावेज इम्पाउण्ड किये जाने के मामलों में मुद्रांक कर की गणना हेतु प्रयोज्य होनी चाहिए, जिसमें मुद्रांक कर के साथ-साथ धारा-44 के तहत शास्ति आरोपित करने का प्रावधान भी किया हुआ है।

4.1 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-55 के प्रावधान अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की करापवंचना के आशय से किसी दस्तावेज का पंजीयन न कराने की सूचना कलक्टर (मुद्रांक) को प्राप्त होने अथवा स्वयं के ध्यान में आने पर मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु की जाने वाली कार्यवाहियों में ही प्रयोज्य होनी चाहिए, जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा आवश्यक जांच के बाद यदि करापवंचना का आशय प्रतीत होने से संतुष्ट होने ***पर आवश्यक रूप से धारा-73 व धारा-75 के तहत अभियोजन की कार्यवाही किये जाने का भी प्रावधान किया गया है।***

4.2 माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील नम्बर-5273/07 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स में दिनांक 16.11.07 को निर्णय पारित कर यह स्पष्ट किया है कि दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने के समय की सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू से गणना कर मुद्रांक शुल्क लिया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय A.I.R.2008 SUPREME COURT 509 में प्रकाशित हुआ है। निर्णय का अध्ययन करें और न्याय दृष्टांत के अनुसार राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत निर्णित किये जाने वाले प्रकरणों में यथास्थान इसका अनुसरण करें। सुविधा के लिये निर्णय का निम्न अंश नीचे उद्धर्त किया जाता है :-

"We are of the opinion that the view taken by the learned single Judge as well as by the Division Bench cannot be sustained and the same is set aside. The Collector shall determine was the valuation of the instrument on the basis of the market value of the property at the date when the document was tendered by the respondent for registration, and the respondent shall pay the stamp duty charges and surcharges, if any, as assessed by the Collector as per the provisions of the Act."

5.0 अतः समस्त वृताधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विधिक प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए मुद्रांक प्रकरण में विधिसंगत आदेश पारित कर मुद्रांक शुल्क वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक, 21/8/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(482)विधि/10/2005–2454 दिनांकः 31/8/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी, 31/8/10
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर